*प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 28.03.2023

चोरी की 01 पम्पिंग सेट इंजन व कुल 07 अवैध देसी बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में कल दिनांक 27.03.2023 को थाना रानीगंज से **उ0नि0 श्री अवनीश कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बुढौरा मौड के पास से थाना स्थानीय में पंजीकृत **मु0अ0सं0 72/2023 379,504,506,411 भादवि** से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. शोएब पुत्र नन्हे उर्फ इरशाद नि0ग्रा0 इमलीडाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2. अनवर पुत्र तहमूल निवासी ग्राम सराय जमुनी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 इंजन पम्पिंग सेट व प्लास्टिक के झोले में 07 अदद देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त चोरी की पम्पिंग सेट इंजन बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई तथा बरामद देसी बम के संबंध में **मु0अ0सं0 73/23 व 74/23 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0** का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया गया कि हम दोनो लोग अपने अन्य साथियों 1.दिलशाद पुत्र नन्हे उर्फ इरशाद निवासी ग्राम इमलीडाह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 2. शकील पुत्र स्व0 गुलशेर नि0 ग्रा0 विष्णुपुर कला 3. साबेज पुत्र ननकऊ निवासी रामदेव पट्टी के साथ मिलकर कई बार अलग-अलग गांवो से अलग-अलग सामान चोरी करते हैं। हम सभी ने मिलकर करीब दो महीना पहले लोहार तारा के एक खेत से रात्रि मे एक पम्पिंग सेट इंजन फील्ड मार्शल 8HP चोरी करके यही पास के नाले के पुल के अन्दर बेचने के लिये छुपा के रखे है, जिसे आज हम लोग बेचने के लिये जाने वाले थे कि आप लोगो ने हमे पकड लिया, आपके साथ चलकर हम लोग चोरी के इंजन को बरामद करा सकते हैं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 72/2023 धारा 379/504/506/411 भादवि।
2- मु0अ0सं0 73/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम शोएब उपरोक्त।
3- मु0अ0सं0 74/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम अनवर उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. शोएब पुत्र नन्हे उर्फ इरशाद नि0ग्रा0 इमली डाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

2. अनवर पुत्र तहमूल निवासी ग्राम सराय जमुनी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः- 01 पम्पिंग सेट इंजन फील्ड मार्शल 8HP, कुल 07 अवैध देसी बम।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अवनीश कुमार सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

10 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब बरामद (थाना मान्धाता)

कल दिनांक 27.03.2023 को जनपद के थाना मान्धाता के उ0नि0 श्री सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम बीरमपुर , बबीता के घर के पास से एक व्यक्ति शेरबहादुर पुत्र मातादीन निवासी सुनरी का पुरवा बाकाजलालपुर थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज को 10 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लीलापुर)

जनपद के थाना लीलापुर के **उ0नि0 श्री प्रभांशु कुमार राय** मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर **मु0अ0सं0 126/2023 धारा 307/399/402 भादवि** से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त मो0 रिजवान उर्फ अब्दुल रज्जाक पुत्र जान मोहम्मद निवासी पूरेचरन आचार्य तेजगढ़ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।